मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 02 सितम्बर,2020

क्रमांक एफ 22–55/2020/पी–1/इकतीस :: श्री रमेश चन्द्र दोहरे, तत्कालीन सहायक यंत्री,कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी,पारस नहर,उप खण्ड,बागली जिला देवास के गोपनीय प्रतिवेदन अवधि दिनांक 14.09.2015 से दिनांक 31.03.2016 तक की अवधि के गोपनीय प्रतिवेदन के भाग–तीन में समीक्षक एवं स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रतिकूल टीका अंकित की गई:–

प्रपत्र–तीन

बिंदु (अ) (1) राजस्व वसूली कम की गई,पटपड़ी सर्वेक्षण उपरांत कई माह तक प्राक्कलन/डीपीआर तैयार नहीं किया।

2. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 09 मार्च, 1992 के अनुपालन में कार्यालय प्रमुख अभियंता,जल संसाधन विभाग के पत्र दिनांक 05–08–2017 के द्वारा श्री रमेश चन्द्र दोहरे, सहायक यंत्री,नर्मदा ताप्ती कछार,इन्दौर को संसूचना पत्र जारी कर अभ्यावेदन चाहा गया। श्री रमेश चन्द्र दोहरे,सहायक यंत्री द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।

3. प्रमुख अभियंता,जल संसाधन द्वारा श्री रमेश चन्द्र दोहरे,सहायक यंत्री के अभ्यावेदन में उल्लेखित तथ्यों का परीक्षण कर अभिमत दिया कि श्री दोहरे के गोपनीय प्रतिवेदन में संसूचित टीप को हटाया जाना उचित होगा।

4. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग के द्वारा दिये गये अभिमत के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विचारोपरान्त श्री रमेश चन्द्र दोहरे, सहायक यंत्री के दिनांक 14.09.2015 से दिनांक 31.03.2016 की अवधि के गोपनीय प्रतिवेदन में अंकित प्रतिकूल टीका विलोपित करने का प्रशासकीय निर्णय लिया गया।

5. अतः वर्णित स्थिति में राज्य शासन एतद् द्वारा श्री मुकेश कुमार मीणा,सहायक यंत्री के गोपनीय प्रतिवेदन अवधि दिनांक 14.09.2015 से दिनांक 31.03.2016 में अंकित प्रतिकूल टीका को विलोपित करते हुए श्रेणीकरण "ख" मान्य करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

5/9/20

(व्ही.एस.टेकाम)
उप सचिव
म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग

1/09/2020

//2//

Ord-advers

पृ0क्रमांक एफ 22—55/2020/पी—1/इकतीस भोपाल,दिनांक 02 सितंम्बर,2020

प्रतिलिपि :—

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मान.मंत्री जी/राज्यमंत्री जी, जल संसाधन विभाग,भोपाल
2. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग,तुलसीनगर,भोपाल।
3. मुख्य अभियंता,— संबंधित ।
4. श्री रमेश चन्द्र दोहरे, तत्कालीन सहायक यंत्री,कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी,पारस नहर,उप खण्ड,बागली जिला देवास द्वारा— प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग,भोपाल।
5. वेब मैनेजर, डाटा सेंटर, जल संसाधन विभाग,भोपाल की ओर विभाग के वेबसाइट पर आदेश की प्रविष्टि करायें।
6. स्टाक पंजी

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है।

01/9/20

उप सचिव
म.प्र.शासन,
जल संसाधन विभाग

1/09/2020

Ord-advers